

समाहरणालय, सिवान
(जिला शस्त्र शाखा)

—: आदेश :—

श्री इमतेयाज अहमद, पिता—स्व० शेख मुमताज अहमद, ग्राम—सिवान टाऊन, थाना—सिवान टाऊन, जिला—सिवान द्वारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण जिला दण्डाधिकारी महोदय को आवेदन समर्पित कर अपनी शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या—7/76 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्राप्त आवेदन के आलोक में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(4) के तहत इस कार्यालय की संचिका संख्या—III-05/2017 में जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या—7/76 को रद्द किया जाता है तथा इस पर धारित शस्त्र एन०पी०बोर पिस्टल नं०—103424, मेड इन चेकोस्लोवाकिया को स्थायीय थाना सिवान टाऊन के मालखाना में जमा करने का आदेश दिया जाता है साथ ही उन्हें निदेश दिया जाता है कि शस्त्र जमा रसीद की छायाप्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०।-
शस्त्र दण्डाधिकारी
सिवान।

ज्ञापांक III-05/2017.....362...../शस्त्र, दिनांक.....24.10.17.....

- प्रतिलिपि— श्री इमतेयाज अहमद, पिता—स्व० शेख मुमताज अहमद, ग्राम—सिवान टाऊन, थाना—सिवान टाऊन, जिला—सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि— थानाध्यक्ष, सिवान नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि— पुलिस अधीक्षक, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि— सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०।-
शस्त्र दण्डाधिकारी
सिवान।

समाहरणालय, सिवान
(जिला शस्त्र शाखा)

—: आदेश :-

श्री ललन पाठक, पिता—श्री बलभद्र पाठक, सा0—पड़ौली, पो0—किशुनपुरा, थाना—बसंतपुर, जिला—सिवान द्वारा बुजुर्ग हो जाने एवं बीमारियों से ग्रस्त रहने के कारण जिला दण्डाधिकारी महोदय को आवेदन समर्पित कर अपनी शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या—2016/81, सिविल लाईन, गया को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्राप्त आवेदन के आलोक में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(4) के तहत इस कार्यालय की संचिका संख्या—III-05/2017 में जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या—2016/81, सिविल लाईन, गया को रद्द किया जाता है तथा इस पर धारित शस्त्र दोनाली बंदूक संख्या—97147 को स्थानीय थाना बसंतपुर के मालखाना में जमा करने का आदेश दिया जाता है साथ ही उन्हें निदेश दिया जाता है कि शस्त्र जमा रसीद की छायाप्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

हो/-
शस्त्र दण्डाधिकारी
सिवान।

ज्ञापांक III-05/2017.....364/शस्त्र, दिनांक.....24.10.17

- प्रतिलिपि— श्री ललन पाठक, पिता—श्री बलभद्र पाठक, सा0—पड़ौली, पो0—किशुनपुरा, थाना—बसंतपुर, जिला—सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि— थानाध्यक्ष, बसंतपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि— पुलिस अधीक्षक, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि— सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

हो/-
शस्त्र दण्डाधिकारी
सिवान।

समाहरणालय, सिवान
(जिला शस्त्र शाखा)

—: आदेश :—

श्री दयानन्द प्रसाद, पिता—श्री भुआल प्रसाद, सा0—बड़हुलिया, थाना—आन्दर, जिला—सिवान द्वारा बुजुर्ग हो जाने एवं स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण जिला दण्डाधिकारी महोदय को आवेदन समर्पित कर अपनी शस्त्र अनुज्ञापि संख्या—Home-AR/909/99-J&k को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

अतः प्राप्त आवेदन के आलोक में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(4) के तहत इस कार्यालय की संचिका संख्या—III-05/2017 में जिला दण्डाधिकारी महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.10.2017 द्वारा शस्त्र अनुज्ञापि संख्या— Home-AR/909/99-J&k को रद्द किया जाता है तथा इस पर धारित शस्त्र एकनाली बंदूक संख्या—16659—97 को स्थानीय थाना आन्दर के मालखाना में जमा करने का आदेश दिया जाता है साथ ही उन्हें निदेश दिया जाता है कि शस्त्र जमा रसीद की छायाप्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

50/-
शस्त्र दण्डाधिकारी
सिवान।

ज्ञापांक III-05/2017.....363...../शस्त्र, दिनांक.....24.10.17.....

- प्रतिलिपि— श्री दयानन्द प्रसाद, पिता—श्री भुआल प्रसाद, सा0—बड़हुलिया, थाना—आन्दर, जिला—सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि— थानाध्यक्ष, आन्दर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि— पुलिस अधीक्षक, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि— सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

h
23.10.17
शस्त्र दण्डाधिकारी
सिवान।